

माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण  
पीठ, नई दिल्ली के समक्ष  
प्रपत्र संख्या: एनसीएलटी 3ए  
याचिका का विवरण देने वाला विज्ञापन  
[राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण नियम, 2016 के नियम 35 के अनुसार]  
में

सी.ए. (सी.ए.ए.) 59एन.डी./2025  
के संबंध में  
कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत मामला  
तथा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों के संबंध में,  
पठित साथ में — कंपनियाँ (समझौते, व्यवस्थाएँ और विलय) नियम, 2016  
तथा

जयपुर क्राफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ("हस्तांतरक कंपनी") और  
वमानी ओवरसीज़ प्राइवेट लिमिटेड ("हस्तांतरणी कंपनी")  
के बीच विलय योजना (Scheme of Amalgamation) के संबंध में।

## वमानी ओवरसीज़ प्राइवेट लिमिटेड

एक कंपनी जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अधिनियमित है।  
जिसका पंजीकृत कार्यालय स्थित है:  
डी.टी.जे.-131, डी.एल.एफ. टॉवर बी,  
जसोला, नई दिल्ली – 110025

... हस्तांतरणी कंपनी

## असुरक्षित लेनदारों की बैठक बुलाने संबंधी नोटिसों का विज्ञापन

यह सूचना द्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 12.09.2025 को पारित आदेश के माध्यम से, माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण ("एन सी एल टी"), दिल्ली पीठ ने उपर्युक्त कंपनी योजना आवेदन में यह निर्देश दिया है कि जयपुर क्राफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (हस्तांतरक कंपनी) तथा वमानी ओवरसीज़ प्राइवेट लिमिटेड (हस्तांतरणी कंपनी) के असुरक्षित लेनदारों की एक बैठक बुलाई जाए, जिसका उद्देश्य उक्त कंपनियों के बीच प्रस्तावित विलय योजना (Scheme of Amalgamation) पर विचार करना तथा उपर्युक्त समझे जाने पर उसे संशोधन सहित या बिना संशोधन के अनुमोदित करना है। उक्त वमानी ओवरसीज़ प्राइवेट लिमिटेड के असुरक्षित लेनदारों की बैठक दिनांक 13 दिसंबर, 2025 (शनिवार) को अपराह्न 2:00 बजे आयोजित की जाएगी, जिसका स्थान होगा — जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा, तेरापंथ भवन, डी-2/13, सेक्टर-10, डीएलएफ, अनुव्रत मार्ग, फरीदाबाद – 121006 (हरियाणा)। उपर्युक्त कंपनी के असुरक्षित लेनदारों से अनुरोध किया जाता है कि वे स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि (प्रॉक्सी) के माध्यम से उक्त स्थल पर उपस्थित होकर माननीय अधिकरण के निर्देशानुसार प्रस्तावित विलय योजना (Scheme of Amalgamation) पर विचार करें तथा उसे अनुमोदित या अस्वीकृत करें। यह भी सूचित किया जाता है कि निर्धारित प्रारूप में भरे गए सभी प्रॉक्सी प्रपत्र कंपनी के पंजीकृत कार्यालय — डीटीजे-131, डीएलएफ टॉवर बी, जसोला, नई दिल्ली – 110025 — पर बैठक से कम से कम 48 घंटे पूर्व जमा कराए जाने आवश्यक हैं। प्रॉक्सी प्रपत्र कंपनी के पंजीकृत कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। माननीय अधिकरण ने अपने दिनांक 12.09.2025 के आदेश द्वारा श्री जी. आनंदा सेल्वम को बैठक के अध्यक्ष (Chairperson) तथा प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी श्री गौरव केसवानी को उक्त बैठक के स्कूटनाइज़र (Scrutinizer) के रूप में नियुक्त किया है। उपर्युक्त विलय योजना (Scheme of Amalgamation), यदि बैठक में अनुमोदित की जाती है, तो यह माननीय अधिकरण की अंतिम स्वीकृति के अधीन होगी।

दिनांक: 12.11.2025  
स्थान: नई दिल्ली

  
बैठक हेतु नियुक्त अध्यक्ष

Khasra No. 117/5/2, 6, 15/1 & 118/1/2, 10 & 11/1, 49th Mile Stone, Delhi-Mathura Highway,  
Village : Prithla, Tehsil & District Palwal-121102 (Haryana) INDIA

### HEAD OFFICE :

5 L / 156, N.I.T. Faridabad - 121001, Haryana, INDIA. Tel.: 0129-4163454

### REGD. OFFICE :

DTJ-131, DLF Tower - B, Jasola, New Delhi - 110025 (INDIA) ; CIN : U74899DL2002PTC115980  
E-mail : customer@vamanioverseas.com ; Website : www.vamanioverseas.com